राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 0850/2014

बनवारी लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन उप सचिव, (ग्रुंप–2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रा.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल चुरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2014
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आदेश दिनांक 14.12.1994 (अनुलग्नक–1) को चिकित्सा अधिकारी के पद पर अस्थाई तौर पर वेतनमान 2200–75–2800–100–4000 में स्वीकृत पद के विरूद्ध तीन माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक के लिए की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.94 को कार्यग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर द्वारा आदेश दिनांक 05.01.95 (अनुलग्नक–2) जारी कर अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर कर दिया गया। अपीलार्थी की सेवा में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरन्तर वृद्धि की जाती रही आदेश दिनांक 11.10.95 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की अवधि दिनांक 30.9.95 तक बढाई गई। जिसकी स्वीकृति कार्मिक (प्रत्यर्थी संख्या–2) विभाग की आई.डी. संख्या–215 दिनांक 04.08.95 द्वारा जारी की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.02.97 (अनुलग्नक–4) जारी किया गया। उक्त आदेश में अंकित किया गया कि दिनांक 14.2.94 द्वारा 3 माह के लिए की गई नियुक्ति व बाद में समय–समय पर की सेवावृद्धि की निरन्तरता में निम्न चिकित्सक जो वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय बाडमेर में पदस्थापित है, की सेवायें माह दिसम्बर 1997 अथवा राजस्थान लोक आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो के लिए बढ़ाने की

स्वीकृत जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्र.सं.–2 पर अंकित है। निदेशक परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.01.96 (अनुलग्नक–5) को तदर्थ सेवा अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन परिलाभ देने बाबत् परिपत्र जारी किया गया। उक्त पत्र के आधार पर चिकित्सकों की तदर्थ अवधि को नियमित सेवा मानते हुए उन्हें नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि आदि का परिलाभ देने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त परिपत्र की पालना में अपीलार्थी को भी दिनांक 24.12.94 से नियमित मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य परिलाभों का भुगतान किया गया। अपीलार्थी का राजस्थान लोक आयोग से चयन किये जाने पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिवार कल्याण राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 21.05.96 (अनुलग्नक–6) जारी कर अपीलार्थी को राजस्थान लोक आयोग की सिफारिश पर अपीलार्थी की चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 2200–75–2800–100–4000 में अस्थाई रूप से 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्ति की गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–433 पर अंकित है। आदेश दिनांक 21.05.96 की पालना में अपीलार्थी द्वारा पुनः उपस्थिति दिनांक 04.06.96 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 03.05.97 (अनुलग्नक–7) को अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 2200–75–2800–100–4000 (16) में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर भुगतान करने की अनुमति जारी की। शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वा. (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2005 जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजी के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–3 पर अंकित है। पदोन्नति आदेश दिनांक 2.12.2005 (अनुलग्नक–8) की पालना में अपीलार्थी ने कनिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजी के पद पर दिनांक 7.12.2005 (अनुलग्नक–9) को राजकीय डी.बी.जनरल हॉस्पीटल चुरू में कार्यग्रहण कर लिया। शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 11.10.2010 द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2010–2011 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजी के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–2 पर अंकित है। अपीलार्थी ने दिनांक 11.10.2010 (अनुलग्नक–10) को ही मध्यान्ह पूर्व वरिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजी के

पद पर कार्यगहण कर लिया। प्रिन्सिपल मेडिकल आफिसर ब्यावर अजमेर द्वारा दिनांक 19.4.2011 (अनुलग्नक–11) को अपीलार्थी का वेतन पी०बी०–3, 15600–39100 ग्रेड पे 7600 में वेतन नियतन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा आदेश दिनांक 21.6.2013 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया। उक्त आदेश के अनुसार वरिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलोजी को 18 वर्ष नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने तथा ग्रेड पे– 7600 में 2 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2013 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत अपीलार्थी को वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई। आदेश दिनांक 21.06. 2013 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–6 पर अंकित है। शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.07. 2013 (अनुलग्नक–13) जारी कर पूर्व आदेश दिनांक 21.06.2013 में आशिंक संशोधन करते हुए वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 8700 के स्थान पर वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे–8700 संशोधन करने के आदेश जारी किये गये। आदेश दिनांक 21.06.2013 (अनुलग्नक–12) एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2013 (अनुलग्नक–13) की पालना में स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंसा पर अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2013 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान 37400–67000 पेड पर 8700 में पदोन्नत किया गया। सहायक लेखाधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका की पूर्ण सेवा सत्यापन वेतनमान एवं वेतन नियतनों आदि की जाँच करने पर उनकी अभिशंसा पर अपीलाथी का वेतन नियतन किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान डी बी जनरल जिला अस्पताल चुरू द्वारा वेतन नियतन हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 23.7.2013 (अनुलग्नक–14) को जारी किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में वेतनमान 37400–67000(8700) में वर्तमान में कुल वेतन 1,18,876 रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है। (अनुलग्नक–15) प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 15.9.14 (अनुलग्नक–16) जारी किया गया। उक्त आदेश में अंकित किया गया कि शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 21.6.13 के द्वारा विभिन्न विशिष्ठता के निम्न वरिष्ठ विशेषज्ञों को वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप तृतीय डी.ए.सी.पी. स्वीकृत की जाकर ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई किंतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के अनुसार इनकी नियुक्ति 11.7.2011 को नियमित नियुक्ति पश्चात् कुल राज्य सेवा 18 वर्ष एवं अधिक की नहीं होने के कारण पदोन्नत वेतन श्रृंखला निरस्त की जानी प्रक्रियाधीन है। अतः आदेश में अंकित चिकित्सकों ग्रेड पे 8700 मे वेतन

निर्धारण नहीं किया जावे। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–2 पर अंकित है। आदेश दिनांक 15.9.2004 की पालना में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय डी.बी. जनरल जिला अस्पताल चुरू द्वारा आदेश दिनांक 22.9.2014 (अनुलग्नक–17) जारी कर अपीलार्थी के संबंध में पूर्व वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 23.7.2013 निरस्त कर दिया गया। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 8.2.2013 (अनुलग्नक–18) को अधिसूचना जारी की गई। जिसमें अंकित किया गया कि ''उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पदधारक/वरिष्ठ विशेषज्ञ जिसने नियमित चयन के पश्चात् 11.7.2011 को 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में उप निदेशक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद/वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए 18 वर्ष या उससे अधिक की कुल सेवा पूर्ण कर ली है, उनको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख विशेषज्ञ /अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उप निदेशक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद /वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 11.7.2011 को 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की उन्हें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / प्रमुख विशेषज्ञ /अपर निदेशक के पद पर 8700 रुपये के ग्रेड वेतन में तब पदोन्नत किया जायेगा जब वे उप निदेशक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / समतुल्य पद / वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं। आदेश दिनांक 15.9.2014 कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.2.2013 के के अनुसार 11.7.2011 को नियमित नियुक्ति पश्चात् कुल राज्य सेवा 18 वर्ष एवं अधिक की नहीं होने के कारण पदोन्नत वेतन श्रृंखला निरस्त की जानी प्रक्रियाधीन है, के आधार पर चिकित्सकों का ग्रेड पे 8700 में वेतन निर्धारण नहीं किये जाने के आदेश से संबंधित है। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा 22.9.2014 जारी कर अपीलार्थी का पूर्व वेतन निर्धारण दिनांक 23.7.2013 निरस्त कर दिया गया जो कि गलत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 14.12.1994 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से हुई थी जिस पर दिनांक 20.12.1994 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 21.5.1996 द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन होने पर पुनः नियुक्ति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 5.1.1996 जारी कर तदर्थ सेवा अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन परिलाभ देने के आदेश जारी किये गये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 5.1.1996 के आधार पर अपीलार्थी की तदर्थ सेवा अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन परिलाभ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई अर्थात् अपीलार्थी की सेवायें 24.12.1994 से

नियमित कर दी गई। अपीलार्थी की सेवा की गणना 24.12.1994 से करने पर अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा 24.12.2012 को पूर्ण हो जाती है एवं अपीलार्थी को वरिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलॉजी के पद पर दिनांक 11.10.2010 को पदोन्नत किया गया था अर्थात् अपीलार्थी की वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की सेवा दिनांक 11.10.2012 को पूर्ण हो जाती है। अपीलार्थी को डी.ए. सी. पी. स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे–8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला का लाभ आदेश दिनांक 21.6.13 द्वारा स्वीकृत किया गया था वह नियमानुसार सही है। अपीलार्थी को तृतीय डी.ए.सी.पी. स्कीक के अन्तर्गत वेतनमान 37400–76000 ग्रेड पे–8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला का लाभ शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया था। शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर अपीलार्थी के संबंध में आदेश जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी है। सहायक लेखा अधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका की पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन नियतनों आदि जाँच करने पर ही उनकी अभिशंसा पर अपीलार्थी का वेतन नियतन डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे–8700 में किया गया था। विवादग्रस्त आदेश दिनांक 15.9.2014 निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर एवं आदेश दिनांक 22.9.2014 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय डी.बी. जनरल जिला अस्पताल चुरू द्वारा जारी किया गया है। उक्त दोनों अधिकारी अपीलार्थी के संबंध में आदेश जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिए जावे कि आदेश दिनांक 15.9.2014 (अनुलग्नक–16) एवं आदेश दिनांक 22.9.2014 (अनुलग्नक–17) को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को दिनांक 21.6.2013 की पालना में डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला का लाभ निरन्तर प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.02.1994 पूर्णतया अस्थाई तौर पर वेतनमान 2200–4000 में तीन माह या आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त

किया गया। अपीलार्थी ने 24.02.1994 को कार्यग्रहण किया। समय–समय पर इनकी अवधि बढ़ाई गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.1996 द्वारा इनकी तदर्थ सेवा अवधि के नियमित सेवा मानते हुए। नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि आदि परिलाभ स्वीकृत किए गये। अपीलार्थी आरपीएएसी से चयनित होने पर आदेश दिनांक 21.05.1996 द्वारा दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गई। इसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 433 पर एवं पूर्व में तदर्थ पदस्थापित स्थान पर ही पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.05.1997 द्वारा प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथी 24.12.1994 से वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 24.12.1994 से नियमित की गई है। अपीलार्थी का वर्ष 2005–06 की रिक्ती के विरूद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वर्ष 2010–11 की रिक्ती के विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2010 से वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 21.06.2013 (अनुलग्नक–2) संशोधित आदेश दिनांक 03.07.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा 18 वर्ष की नियमित राजकीय सेवा पूर्ण करने पर एवं ग्रेड पे 7800/– में दो वर्ष पूरे करने पर दिनांक 01.04.2013 से डीसीएपी स्कीम के तहत वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8700/– में पदोन्नति प्रदान की गई एवं तदनुसार वेतन नियतन किया गया। आलौच्य आदेश दिनांक 15.09.2014 द्वारा कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के अपवाद संख्या 1 के अनुसार अपीलार्थी की दिनांक 11.07.2011 को नियमित नियुक्ति के पश्चात कुल राजकीय सेवा 18 वर्ष या अधिक नहीं होने से पदोन्नति वेतन श्रृखंला निरस्त करना प्रक्रियाधीन होने से ग्रेड पे 8700/– में वेतन निर्धारण नहीं करने हेतु निर्देशित किया जिसके आधार पर पीएमडी द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 23.07.2013 को आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा निरस्त कर दिया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 द्वारा डीएसीपी स्कीम लागू की गई जिसे दिनांक 11.07.2011 से लागू किया गया है। इसका अपवाद संख्या 1 निम्नानुसार है–

अपवाद–1. उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद धारक/वरिष्ठ विशेषज्ञ, जिसने नियमित चयन के पश्चात 11.07. 2011 को 7600/–रू के ग्रेड वेतन में उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद/वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर दो वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए, 18 वर्ष या उससे अधिक की कुल सेवा पूर्ण कर ली है, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख विशेषज्ञ/अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद / वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 11.07.2011 को 7600 / –रू के ग्रेड वेतन में दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उन्हें प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रमुख विशेषज्ञ / अपर निदेशक के पद पर 8700 / – रू के ग्रेड वेतन में तब पदोन्नत किया जायेगा जब वे उप निदेशक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समतुल्य पद / वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करते है।

अपीलार्थी के प्रकरण में उसके तदर्थ नियुक्ति पर कार्यग्रहण दिनांक 24.02.1994 से तदर्थ अवधि की सेवाएं नियमित की जाकर वेतन वृद्धि आदि परिलाभ किए जा चुके है। यह सही है कि अपीलार्थी 11.07.2011 को निर्धारण 18 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण नहीं करता है परंतु अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के तहत वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8700 / – में पदोन्नति 11.07.2011 के स्थान पर 01.04.2013 से स्वीकृत की गई है। दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना के अपवाद–1 के अनुसार 18 वर्ष की नियमित सेवा एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की सेवा की शर्त पूरी करते है। अतः अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के तहत नियमानुसार ग्रेड पे 8700 / – में पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 15.09.2014 एवं 22.09.2014 नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 15.09.2014 एवं 22.09.2014 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को पदोन्नति आदेश दिनांक 21.06.2013 संशोधित दिनांक 05.07.2013 के अनुसार किए गये वेतन नियतन आदेश दिनांक 23.07.2013 के अनुसार अपीलार्थी को वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जाकर भुगतान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य